

आर.ए.एस. पंकी मीणा के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की डिमांड से जुड़ा मामला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की डिमांड से जुड़े मामले में बांकीकुंई की तत्कालीन एसडीओ पंकी मीणा को निलंबन करने वाले 15 जनवरी 2021 के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका सह आरोपी पुष्कर मित्तल की याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश पंकी मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मामला सह आरोपी पुष्कर मित्तल से अलग नहीं है और उसके निलंबन आदेश पर गत 17 जुलाई को रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा रिज्यू कमेटी की गत 16 दिसंबर की बैठक के विवरण में याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द नहीं करने का कारण नहीं बताया गया है। ऐसे में समानता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मामला सह आरोपी पुष्कर मित्तल से अलग नहीं है और उसके निलंबन आदेश पर गत 17 जुलाई को रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा रिज्यू कमेटी की गत 16 दिसंबर की बैठक के विवरण में याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द नहीं करने का कारण नहीं बताया गया है। ऐसे में समानता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाती है।

याचिकाकर्ता के बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषा के तत्कालीन एसडीओ पुष्कर कुमार मित्तल और याचिकाकर्ता के खिलाफ जनवरी 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले में गिरफ्तारी के बाद अलग-अलग आदेशों से दोनों को निलंबन कर दिया गया था। वहीं पुष्कर मित्तल के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट गत 17 जुलाई को स्टे कर चुका है। मामले में एसीबी की ओर से आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद केस में कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में उसके निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाए। जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याचिका पेश होने के बाद दोनों आरोपियों को गत 30 दिसंबर को विभागीय

आरोप पत्र दिया जा चुका है। रिज्यू कमेटी की ओर से याचिकाकर्ता के निलंबन को लेकर समीक्षा की गई थी, लेकिन गत 16 दिसंबर की बैठक में निलंबन रद्द करने की सिफारिश नहीं की गई।

सरकारी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि रिज्यू कमेटी की गत 12 मई को भी बैठक हुई थी, लेकिन उसके विवरण की जानकारी उन्हें नहीं है। दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के निलंबन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि हाईवे निर्माण कंपनी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि आरोपी एसडीओ काम में रुकावट नहीं डालने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर एसीबी ने 13 जनवरी 2021 को पुष्कर मित्तल को पांच लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया था। वहीं एसडीओ पंकी मीणा को 10 लाख रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मुख्यमंत्री ने दी वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान राशि में वृद्धि को मंजूरी

पत्रकार कल्याण और सम्मान के लिए राज्य सरकार का अहम निर्णय

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पत्रकार कल्याण, सम्मान एवं सुरक्षा के लिए पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए सम्मान राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शर्मा द्वारा स्वीकृत मिलने के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में संशोधन कर पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों की सम्मान राशि में वृद्धि करते हुए इसे 18 हजार रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी है। डीआईपीआर द्वारा जारी राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान

■ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की अधिसूचना, बजट घोषणा के अनुरूप अब मिलेगी 18 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि

योजना (संशोधन) नियम-2026 के अनुसार ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार, जिन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी में कम से कम 20 वर्षों तक सेवायोजन कार्य किया हो (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार

एजेंसी के संपादक, प्रकाशक व मालिक सहित) और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे प्रतिमाह 18 हजार रुपये सम्मान राशि के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष बजट 2026-27 में अधिस्वीकृत पत्रकारों की सम्मान राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की अनुपालना में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के बाद वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत लाभार्थी दिवंगत पत्रकार की पत्नी को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि भी 7 हजार 500 रुपये से बढ़कर 9 हजार रुपये हो गई है।

आचार्य बालकृष्ण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान

हरिद्वार। योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा के पथ-प्रदर्शक आचार्य बालकृष्ण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज एक और प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया गया। मुंबई में आयोजित वैश्विक "बिलियनर्स फॉर पीस कॉन्क्लेव 2026" में उन्हें "आई एम पीसकीपर-चैंपियन हेल्थ अवार्ड 2026" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व शांति, मानवता, स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक कल्याण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। आचार्य बालकृष्ण को यह सम्मान ऐसे समय में प्राप्त हुआ है जब आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में अभूतपूर्व स्वीकार्यता मिल रही है। उन्होंने अपने अनुकरणीय शोध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैश्विक प्रयासों के माध्यम से आयुर्वेद को केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति तक सीमित नहीं रहने दिया, अपितु उसे आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और समग्र स्वास्थ्य के साथ जोड़कर नई दिशा प्रदान की है। उनके नेतृत्व में पतंजलि द्वारा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में समाहित ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ-आधारित परिणामों में माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सम्मान प्राप्त करने के उपरांत आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि एक स्वस्थ मानव ही शांतिपूर्ण समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं, अपितु सम्पूर्ण मानवता को संतुलित, निरोग और सकारात्मक जीवन की दिशा प्रदान करने वाला विज्ञान है।



रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग से लूट

जयपुर। जामडोली इलाके से बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार दो बदमाशों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को लिफ्ट दी और फिर सुनसान जगह ले जाकर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पीडित बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। एएसआई शिवदयाल ने बताया कि रूपलाल मीणा (70) जगतपुरा निवासी बुधवार शाम करीब साढ़े 6 बजे तिलक हॉस्पिटल के पास से पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उनके पास आए और रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोक लिया। बातचीत के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाया और मदद करने व रास्ता बताने के बहाने उन्हें झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठा लिया और रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर बाइक रोक दी। वहां दोनों बदमाशों ने बुजुर्ग को डराया-धमकाया और जबर्न उनके गले की सोने की चेन और जेब से पर्स छीन लिया।

आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा का चालक गिरफ्तार

सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 पेपर लीक का मामला

जयपुर (कास)। एसआई भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा के चालक नानादास सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपने बेटे अजय प्रताप सिंह और उत्तर लेकर अपने बेटे अजय प्रताप सिंह के लिए पेपर और उत्तर उपलब्ध करवाने का आरोप है। एसओजी अजय प्रताप सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि नानादास सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेटे को एसआई भर्ती परीक्षा में पास करवाने के लिए सुनियोजित साजिश रची। जांच में सामने आया कि उसने बेटे से एसआई भर्ती का

फॉर्म भरवाया और तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से परीक्षा में मदद सुनिश्चित करवाई। जांच के दौरान पता चला कि बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से पहले तीनों दिनों के प्रश्नपत्र और उत्तर अपने भांजे विजय कुमार डामोर को उपलब्ध करवाए थे। नानादास सिंह ने विजय डामोर से प्रश्न और उत्तर लेकर अपने बेटे अजय प्रताप सिंह को उपलब्ध करवाए थे।

एसओजी के अनुसार लोक पेपर पढ़कर परीक्षा देने वाले अजय प्रताप सिंह को हिंदी विषय में 200 में से 174.28 तथा सामान्य ज्ञान में 200 में से 150.2 अंक प्राप्त हुए थे, जिससे वह परीक्षा में सफल हो गया।

अजय प्रताप सिंह को एसओजी ने 18 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। अब एसओजी ने नानादास सिंह को

गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 22 मई तक रिमांड पर भेजा गया है।

एसओजी उससे पूछताछ कर रही है कि उसे पेपर लीक की जानकारी कैसे मिली और पूरे नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका रही।

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान पुलिस में एसआई पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। इस पेपर लीक मामले में अब तक 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपी नानादास सिंह राठौड़ मूल रूप से पदमपुरा (अजमेर) का निवासी है और फिलहाल अजमेर पुलिस लाइन के पास महादेव नगर में रह रहा था।

व्यापारी से 5 करोड़ रु. फिरौती मांगी

जयपुर। श्याम नगर थाना इलाके में एक बार फिर रंगदारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नामचीन व्यापारी से विदेशी नंबर से कॉल कर 5 करोड़ रुपये की मोटी फिरौती मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि श्याम नगर निवासी एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे के मोबाइल पर 18 मई दोपहर तीन से चार बजे के बीच विदेशी नंबर से कॉल आया। फोन उठाने पर सामने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया और पांच करोड़ रुपए फिरौती देने के लिए धमकाया। इस अचानक आई धमकी से घबरारक व्यापारी के बेटे ने फोन काट दिया। कॉल कटने के बाद भी आरोपी शांत नहीं हुआ। उसने पीडित के मोबाइल पर एक बेहद डरावना और धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज भेजा। जिसके बाद पीडित व्यापारी का पूरा परिवार दहशत में आ गया।

वफादार नौकर ही निकला पिकअप चोर

जयपुर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए मालिक की पिकअप चोरी करने वाले उसके ही नौकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पर चोरी गई पिकअप बरामद कर ली। वहीं एक अन्य मामले में दो स्कूटी चोरों को भी गिरफ्तार

कर चोरी की एक्टिवा बरामद की गई है। जयपुर पूर्व की पुलिस उपायुक्त रंजीता शर्मा ने बताया कि परिवारी देशदीपक गंग ने 20 मई को आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मई को उनके घर के बाहर खड़ी कमर्शियल पिकअप चोरी हो गई।



राजस्थान को भारतीय रेल की नई सौगात

हमारे राष्ट्र को जोड़ने में भारतीय रेल की केंद्रीय भूमिका है। यह वास्तव में हमारी प्रगति की जीवन रेखा है।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस (20 कोच)

- अधिक कोच से यात्री क्षमता में बढ़ोतरी
- सुगम टिकट उपलब्धता, आरामदायक और तेज सफर
- सुखद यात्रा अनुभव

जैसलमेर तक साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार

- पर्यटन को बढ़ावा
- गुजरात और राजस्थान के मध्य कनेक्टिविटी को मजबूती
- रोजगार के नए अवसरों का सृजन

कोच कैप्टर कॉम्प्लेक्स, जैसलमेर (रोडियो कॉन्फ्लेक्सिंग द्वारा)

- अधिक ट्रेनों के उन्नत अनुकरण की सुविधा
- रेल संचालन में संरक्षा को बढ़ावा
- क्षेत्र में अतिरिक्त रेल सेवाओं का संचालन संभव
- भविष्य में वंदे भारत और आधुनिक ट्रेनों का संचालन

22 मई 2026 | जोधपुर | 11:30 बजे

तथा

22 मई 2026 | जालौर | 15.00 बजे | पाली मारवाड़ | 18.30 बजे

भूपेन्द्र पटेल
मुख्यमंत्री, गुजरात
(रोडियो कॉन्फ्लेक्सिंग के आयोजन से)

अश्विनी वैष्णव
केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

गजेन्द्र सिंह शेखावत
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

के द्वारा शुभारम्भ

गरिमाययी उपस्थिति

जोगेश्वर गर्ग
मुख्य सचिव

मदन राठौड़
सचिव

राजेंद्र गहलोत
सचिव

लुम्बामरा चौधरी
सचिव

पी. पी. चौधरी
सचिव

विनोद लखमशी चावड़ा
सचिव

उममेदा राम बेनीवाल
सचिव

अतुल भंसाली
विचारक

छोटू सिंह भाटी
विचारक

देवेन्द्र जोशी
विचारक

पुणेन्द्र सिंह
विचारक

केदाराम चौधरी
विचारक

छगन सिंह राजपुरोहित
विचारक

केशुभाई शिवदास पटेल
विचारक

प्रद्युम्नसिंह जडेजा
विचारक

जीवाराम चौधरी
विचारक

भीम राज भाटी
विचारक

रतन देवासी
विचारक



भारतीय रेल

www.indianrailways.gov.in

हमें फॉलो करें



जनगणना 2027

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना

राजस्थान में फील्ड कार्य 16 मई से 14 जून, 2026

राजस्थान के समस्त सम्मानीय निवासियों को सूचित किया जाता है कि मकानसूचीकरण (Houselisting Operation) का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आपके द्वारा दी गई सटीक जानकारी ही भविष्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का आधार बनेगी।

प्रगणक द्वारा पूछे जाने वाले 33 प्रश्न :

1. भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
2. जनगणना मकान नंबर
3. जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4. जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
5. जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
6. जनगणना मकान के उपयोग
7. जनगणना मकान की हालत
8. परिवार क्रमांक
9. परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
10. परिवार के मुखिया का नाम
11. परिवार के मुखिया का लिंग
12. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है ?
13. मकान के स्वामित्व की स्थिति
14. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या

15. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या
16. पेयजल का मुख्य स्रोत
17. पेयजल स्रोत की उपलब्धता
18. प्रकाश का मुख्य स्रोत
19. शौचालय की सुलभता
20. शौचालय का प्रकार
21. गंदे पानी की निकासी
22. स्नानगृह की उपलब्धता
23. रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
24. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
25. रेडियो/ट्रांजिस्टर
26. टेलीविजन
27. इंटरनेट सुविधा
28. लैपटॉप/कंप्यूटर
29. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
31. कार/जीप/वैन
32. परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज
33. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)

सावधान! प्रगणक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनकी आई. डी. पर बने क्यू आर कोड को स्कैन करें एवं किसी प्रकार का दस्तावेज / ओ. टी. पी. साझा न करें।

यदि 5 जून 2026 तक प्रगणक आपके मकान नहीं आते हैं तो कृपया हमें टोल फ्री नंबर 1855 पर कॉल कर सूचित करें।

हमारी जनगणना, हमारा विकास

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान



